दूरभाष सख्या 0621-2212101 {का}
0621-2212105 {आ} 2217285 {फै}
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला योजना कार्यालय)

****

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2017 को सम्पन्न सरकार की महत्वपूर्ण कार्यों (**Flagship Programmes**) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

.....

उपस्थितिः पंजी के अनुसार ।

1. कल्याण (**Welfare**) –

(**i**) अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में बताया गया कि प्राप्त आवंटन लगभग 23.00 करोड़ के विरूद्ध योग्य छात्रों के बीच लगभग 15.00 करोड़ राशि का वितरण करा दिया गया है तथा कुछ राशि शेष है। वित्तीय वर्षवार भौतिक/वास्तविक लक्ष्य के बारे में पृच्छा किये जाने पर समुचित उत्तर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्षवार भौतिक/वास्तविक लक्ष्य से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

(**ii**) वर्ग 01 से 06 तक के लिए मुसहर छात्रवृत्ति वितरण के संबध में बताया गया कि टीम बन चुकी है, परन्तु अभी तक जांच नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि शीघ्र जांच कराते हुए राशि का वितरण कराना सुनिश्चित करें।

(**iii**) मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट मेधावृत्ति योजना के संबंध में बताया गया कि अभी तक सभी विद्यालयों से छात्रों का बैंक खाता संख्या प्राप्त नहीं हुआ है। इस दिशा में अभी तक किये गये प्रयास के बारे में पृच्छा किये जाने पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। निदेश दिया गया कि इस संबंध में दो दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में विभाग को कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित कर दिया जाए। उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि सभी कल्याण छात्रवृत्ति की योजनाओं का अपने स्तर से तीन दिनों के भीतर समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाए एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

2. सामाजिक सुरक्षा (**Social Security**) –

(**i**) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा बताया गया कि 3.38 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि करा दिया गया है । निदेश दिया गया कि स्वीकृत सभी लाभुकों का बैंक खाता, आधार नंबर, मोबाईल नंबर आदि का शतप्रतिशत इंट्री कराते हुए उसे लॉक कराना सुनिश्चित करें । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अनुमंडलाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को इस आशय का पत्र दिया जाए कि सभी अयोग्य पेंशनधारियों को सूची से हटाने की कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर करें एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। जिन पेंशनधारियों का बैंक खाता नंबर प्राप्त नहीं हो

रहा है उसे अभियान चलाकर प्राप्त करेंगे तथा नहीं मिलने पर उनका नाम सूची से हटा दिया जाए।

(ii) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पेंशनधारियों का अधार सीडिंग में अभी भी 70 हजार का अतराल है। निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से निदेश दिया जाए कि प्रखण्ड/पंयायतस्तरीय कर्मियों के माध्यम से अभियान चलाकर लाभुकों का आधार नंबर प्राप्त करेंगे एवं उसका सीडिंग कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) समीक्षा में पाया गया कि लगभग 45 हजार लाभुकों का अभी तक डाटा लॉक नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि इसमें शीघ्र अपेक्षित प्रगति लाया जाए एवं शतप्रतिशत डाटा लॉक कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि रिजेक्टेट डाटा के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(iv) निदेश दिया गया कि कबीर अन्त्येष्ठि योजना मद में अद्यतन स्थिति की प्रखण्डवार समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(v) बताया गया कि विभाग से निदेश प्राप्त हुआ है कि दिव्यांगजनों जिनकी विकलांगता प्रतिशत 10–25 प्रतिशत भी है तो उन्हें भी विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना है। निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार इसकी सर्वे करा लिया जाए कि किुल दिव्यांगजनों की संख्या क्या है तथा कितने दिव्यांगों को अभी तक विकलांगता प्रमाण पत्र दिया गया है। उक्त सर्वे के आधार पर अभियान चलाकर छूटै हुए दिव्यांगों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत कराने की कार्रवाई की जाए।

(vi) निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों से वृद्ध बेसहारा व्यक्तियों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुगामी कार्रवाई की जाए।

(vii) निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्र सम्बल योजना की समीक्षा करते हुए विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(viii) निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के पेंशन योजनाओं के संबंध में सभी प्रखण्डों से उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को यह निदेशित किया जाए कि जिन पंचायत सचिव के द्वारा अग्रिम राशि के विरूद्ध अभिश्रव अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है उसे चिन्हित करते हुए एक सप्ताह का समय देकर अभिश्रव की मांग कर लें । यदि निर्धारित समय के भीतर जिन पंचायत सचिव के द्वारा राशि का समायोजन नहीं कराया जाता है उनके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राशि वसूली करने की कार्रवाई की जाए।

3. वन प्रमंडल (**Forest Division**) –

(i) वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सड़क के किनारे पौधारोपण से पूर्व संबंधित प्रथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0–2, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि झपहां–मीनापुर एवं शिवहर–मीनापुर पथ में कुछ वटवृक्ष एवं पीपल के वृक्ष को हटाने की

आवश्यकता है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

4. समीक्षा के क्रम मे कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सं0 2 एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0 1, मुजफ्फरपुर बैठक से अनुपस्थित पाये गये । इस प्रकार बैठक की पूर्व सूचना के बाद भी अनुपस्थित रहने हेतु उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

5. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन –

(i) जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि कार्यकारी एजेंसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को गत वर्ष 90.52 प्रतिशत राशि की योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसके विरूद्ध अभी तक मात्र 35 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि वर्ष 2017–18 की शतप्रतिशत राशि पड़ी हुई है। निदेश दिया गया कि अविलंब योजनाओं का कार्यान्वन कराते हुए शतप्रतिशत राशि का व्यय कराना सुनिश्चित करें।

(ii) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यकारी एजेंसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–2, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत वर्ष 2016–17 का कुल 110 योजनाऐं पूर्ण की गई है तथा 229 योजना अभी भी अपूर्ण है। निदेश दिया गया कि जून 2017 तक सभी कार्यान्वित योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदित करें। साथ ही योजनाओं की प्रगति काफी असंतोषजनक रहने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं के माध्यम से प्राप्त कर उपस्थापित किया जाए। यदि 30 अप्रैल, 2017 तक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।

(iii) कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–1 एवं 2, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि 30 अप्रैल 2017 तक सभी योजनाओं में कार्य प्रारंभ कराते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(iv) जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोनों कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का स्थलीय जांच कराते हुए जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु जिलास्तरीस पदाधिकारी एवं अवर योजना पदाधिकारी की टीम बनाकर क्षेत्र में जांच हेतु भेजा जाए।

6. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम –

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 51 समयपार आवेदन अभी तक निवारण हेतु लंबित है। निदेश दिया गया कि सभी आवेदनों का समय सीमा के भीतर निष्पादन कराते हुए उसका अंतिम निवारण कराना सुनिश्चित करें।

(ii) जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी पारित आदेश के

आलोक में अनुपालन हेतु लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सबंधित लोक प्राधिकार के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि जिन लोक प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है उनके विरूद्ध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अधीन वांछित कार्रवाई की जाए एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

7. शिक्षा (**Education**) –

(i) जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि, मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री साईकिल योजनाओं की राशि समय पर विद्यार्थियों के खाते में अंतिरित हो इसे सुनिश्चित करायें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि विद्यालयवार समीक्षा करते हुए इस आशय का प्रतिवेदन उपलब्ध करायें कि किन विद्यालय के द्वारा अभी विद्यार्थियों के खाते में राशि अंतरित नहीं करायी गई है तथा किन बैंक के द्वारा इस दिशा में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार इस मद में बैंको को भेजे गये एडभाईस एवं राशि अंतरण से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दो दिनों के अन्दर समर्पित किया जाए।

(ii) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का नगर निकाय में नियेाजन किया जाना था, परन्तु किसी भी निकाय के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नियोजन की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मुजफ्फरपुर से पृच्छा किये जाने पर कि उनके स्तर से अभी तक क्या कार्रवाई की गई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उप विकास आयुक्त को निदेश दिया जाता है कि तत्संबंधी नियेाजन की संचिका एवं अद्यतन स्थिति के आधार पर समीक्षा करते हुए नियोजन इकाई के सचिव एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ए.सी./डी.सी. विपत्र से संबंधित प्रखण्डवार अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाए।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 703 /योजना, दिनांक 05-05-17

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुज0/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुज0/ अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/ सहायक समाहर्ता/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुज./सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुज0./जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/जिला जनसंपर्क पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0/जिला कृषि पदाधिकारी/

अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी, मुज0/समाहरणालय स्थिति सभी प्रखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला/जिला अभियंता, जिला परिषद, मुज0/कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, मुज./जिला योजना पदाधिकारी, मुज./ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्वी–1 एवं 2, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, ग्रामीण, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, संख्या–1 एवं 2/कार्यपालक अभियंता, डूडा, मुज./कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।